फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : गजेन्द्रसिंह बनाम विपक्षी : भूमिधारी जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 18/22

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.04.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनागरत आराजीयात में प्रार्थी का नाम सेहवन से अंकन त्रुटि होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नाम संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा डाबियों का खेडा पटवार हल्का केदारिया तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 12 की आराजी नंबर 121, 121, 92, 94, 95 व खाता संख्या 13 की आराजी नंबर 129, 175 में प्रार्थी का नाम गजेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र दरियाव कुंवर पिता गिरधारीसिंह हिरसा पूर्ण जाति राजपुत दर्ज है। प्रार्थी श्रीमती दरियाव कुंवर पत्नी केसर सिंह के रजिस्टर्ड गोदनामे से गोद पुत्र है। श्रीमती दरियाव कुंवर की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण खोला गया जिसमें प्रार्थी का नाम गजेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र दरियाव कुंवर पत्नि केसर सिंह के बजाय गजेन्द्र सिंह मु. दरियाव कुंवर/पिता गिरधारी सिंह अंकित कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण होने से गजेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र दरियाव कुंवर/पिता गिरधारी सिंह के बजाय गजेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र दरियाव कुंवर पत्नि केसर सिंह दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्तमान प्रविष्टि को त्रुटिपूर्ण बताया तथा प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाकर गजेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र दरियाव कुंवर पत्नि केसर सिंह किये जाना प्रस्तावित किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति पेश की। अतः तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डाबियों का खेडा पटवार हल्का केदारिया तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 12 व खाता संख्या नया 13 में प्रार्थी नाम गजेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र दरियाव कुंवर/पिता गिरधारीसिं[illegible] पूर्ण जाति राजपुत के बजाय गजेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र दरियाव कुंवर पत्नि [illegible] देह खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते [illegible] भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:58:52 IST
Reason: SelfAttested